रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 1987/कार्तिक 29, 1909
No. 589] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 1987/KARTIKA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1987

आदेश

का० आ० 1009 (अ) 18क/औ०वि०वि०प्र०/87:—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 725(अ)/18क/औ०वि०वि०प्र०/72, तारीख 25 नवम्बर, 1972 (जिसे इससे आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इंडिया

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 1987/कार्तिक 29, 1909
No. 589] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 1987/KARTIKA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1987

आदेश

का० आ० 1009 (अ) 18क/औ०वि०वि०अ०/87:—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 725(अ)/18क/औ०वि०वि०अ०/72, तारीख 25 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इंडिया

मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 24 नवम्बर, 1977 तक की जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए एक प्रबन्ध बोर्ड को प्राधिकृत किया गया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 630(अ) 18क/औ० वि० वि० अ०/77 तारीख 24 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश को अंतरित किया गया था, और भारत सरकार का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेशों द्वारा समय-समय पर उक्त आदेश की अवधि 24 नवम्बर, 1987 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी शामिल है, के लिए बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त आदेश की तारीख 24 मई, 1988 तक की अग्रेतर अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी शामिल है, प्रभावी रखना लोकहित में समीचीन है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 24 मई, 1988 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[फा० सं० 2(11)/80-सी० यू० एम०]

ए० वी० गोकाक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 20th November, 1987

ORDER

S.O. 1009(E)|18A|IDRA|87.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)|18A|IDRA|72, dated the 25th November 1972 (hereinafter referred to as the said Order), a Board of Management was authorised to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs India Machinery Company Limited, Howrah, for a period of five years upto and inclusive of the 24th November, 1977;

And whereas the said Order was modified by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 630(E)|18A|IDRA|77, dated the 24th August, 1977 and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta was authorised to take over the management of the whole of the said undertaking;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for further periods upto and inclusive of the 24th November, 1987;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the duration of the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 24th May, 1988;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 24th May, 1988.

[F. No. 2(11)|80-CUS]

A. V. GOKAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987